संख्या- 14/2019/1790/अडतीस-7-2019-2054एलसी/18

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी,/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2019

विषयः- स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस के स्थलीय निरीक्षण के संबध में निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों (यथा- ग्राम पंचायत, श्रेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति के क्रम में मुख्य सचिव, महोदय के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या- 432/37-2-2018-5(53)/2018,दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा गठित विकास खण्ड स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।

2- अतः उपर्युक्त के क्रम में अपने जनपद से संबंधित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह कृपया अपने विकास खण्ड में संचालित स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण नियमित रूप से करते हुये पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 13.05.2019 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के संचालन अर्थात मुख्य रुप से चारे, पानी एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का महीने में कम से कम 02 बार स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी एवं संबधित क्षिास खण्ड के पशु चिकित्साधिकारी एवं जनपद के पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि स्थायी एवं अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के संचालन में पाई गयी कमियों का निराकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया जा सके।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 14/2019/1790(1)/38-7-2019तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।